बिहार विधान सभा के लिए अल्पसूचित प्रश्न

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–26.12.2014 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–02 के संबंध में। दिनांक–02 नवम्बर, 2014 को समाचार पत्र में प्रकाशित "नहीं बँटे फसल क्षति के 200 करोड़ रूपये" शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री नरेन्द्र नारायण यादव प्राधिकृत मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना

अल्पसूचित प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सहरसा, सुपौल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मधेपुरा सहित 20 जिलों में वर्तमान वर्ष में आयी भयंकर बाढ़ से किसानों को व्यापक फसल क्षति हुई थी;	जिलों से प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 2014 की बाढ़ से जिलों में कुल 4.00 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र भूमि बाढ़ से प्रभावित हुई है। राज्य आपदा रिस्पौंस कोष के मानदर के आलोक में उन्हीं कृषकों को प्रति हेक्टेयर के अनुसार फसल क्षति होने पर कृषि इनपुट अनुदान देय है जिनकी 50 प्रतिशत फसल क्षतिग्रस्त हो गई हो । वर्तमान में यह दर निम्न प्रकार है :–असिंचित क्षेत्र में 4500/–प्रति हेक्टेयर एवं सिंचित क्षेत्र में 9,000/–रू0 प्रति हेक्टेयर ।
(2) क्या यह बात सही है कि किसानों को फसल क्षति का मुआवजा देने हेतु आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 200 करोड़ रूपये की निकासी भी अक्टूबर, 2014 में कर ली गयी है लेकिन अभी तक उसका भुगतान किसानों को नहीं हुआ है;	वस्तुस्थिति यह है कि कृषि इनपुट अनुदान मद मे वित्तीय वर्ष 2014–15 में आपदा प्रबंधन विभाग के बजट में 5.43 करोड़ राशि आवंटित थी। किन्तु फसल क्षति के आंकड़ों को देखते हुए बिहार आकस्मिकता निधि से 100 करोड़ (एक सौ करोड़) अतिरिक्त निधि की स्वीकृति दी गई है। विभागीय पत्रांक –3061 दि0–25.08.14 द्वारा सभी जिलों को राज्य आपदा रिस्पौंस कोष के मानदर के अनुसार प्रभावित कृषकों का सर्वेक्षण कराकर राशि की अधियाचना कृषि विभाग को भेजने का निर्देश था। अबतक 34.11 करोड़(चौंतीस करोड़ ग्यारह लाख) विभागीय आवंटन आदेश सं0– 73(स0अनु0) दि0–14.11.2014 द्वारा कृषि विभाग को राशि आवंटित की गयी है। प्रभावित कृषकों के सर्वेक्षण के आधार पर जहाँ भी आवश्यकता होगी, राशि आवंटित की जाएगी। कृषि विभाग को राशि का वितरण सुनिश्चित कराने की जवाबदेही दी गयी है ।
(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो खजाने के रूपये की निकासी करने के बावजूद अभी तक उसका वितरण किसानों के बीच नहीं करने का क्या कारण है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि अभी राशि की निकासी कोषागार से नहीं की गयी है । मार्च, 2015 तक आवंटित राशि का वितरण प्रभावित किसानों के बीच करा दिया जाएगा।

–कृ0पृ0उ0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक –04/वि0स0अ0सू0प्र0–61/2014/........................../आ0प्र0, पटना–15, दि0–

प्रतिलिपि प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके ज्ञापांक –3809 दि0–10.12.2014 के क्रम में 05(पाँच) प्रतियों में /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–
(सुनील कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक –04/वि0स0अ0सू0प्र0–61/2014/ 511 /आ0प्र0, पटना–15, दि0– 6/2/15

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई0टी0 मैनेजर/श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, कम्प्यूटर ऑपरेटर, आ0प्र0 विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

\Pc22-pc\d\2014\yojna 2014\vidhan sabha alpsuhit qu as docx 17-12-14.docx